महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा एवं मानवाधिकार एक चिंतन

डॉ. अंशु सोनी
सहायक प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भारतीय संविधान महिला एवं पुरूष समानता की बात करता है लेकिन महिलाओं पर बड़े पैमाने पर घर एवं घर के बाहर हिंसक हमले किये जाते हैं। पूरे देश में हिंसक घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि हर एक 6 मिनिट में हिंसक वारदात महिलाओं के साथ होती है। यह वारदात अत्याचार, अश्लीलता, सार्वजनिक अपमान, छेड़छाड़ कुछ भी हो सकती है।

केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित किये जाने वाले आंकड़ों के अनुसार इन वारदातों की शिकार महिलाएँ हर वर्ष कुल एक लाख मामले दर्ज कराती हैं। जिन वारदातों की सूचना नहीं दी जाती है उन्हें दर्ज नहीं किया जाता उनकी संख्या कई सौ गुना होगी।

देश की राजधानी दिल्ली में 102 मिनिट पर दहेज हत्या, दर्ज होती है, हर सात मिनिट पर हिंसात्मक आक्रमण होता है, हर 26 मिनिट पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होती है।

हत्या अपराध के ग्राम में महाराष्ट्र का स्थान अग्रणी है जहाँ अभी तक लगभग 125913 महिलाओं के साथ हिंसक घटनायें घटित हुई हैं। द्वितीय स्थान पर म.प्र. का है जहां लगभग 12378 महिलाओं साथ एवं तृतीय स्थान आन्ध्रप्रदेश का है। जहाँ पर लगभग 9335 महिलाओं के साथ हिंसक वारदातें हुई।

सामाजिक लिंग समानता, तमाम संवैधानिक गारंटियों के बावजूद वास्तविकता उपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। स्वतंत्रता के पश्चात् यदि महिलाओं की स्थिति का मूल्याँकन किया जाए तो शिक्षा या उसके रोजगार-आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण या आज जो लोग विश्वीकरण की दुहाई दे रहे हैं कि विश्व सिमट कर छोटा हो गया है हम घर बैठे-बैठे हर जगह ही तरक्की का जायजा टीवी पर ले सकते हैं। महिलाओं ने बहुत तरक्की कर ली है। उपलब्धियों के बावजूद तेज रफ्तार जिंदगी से जूझती महिला जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी कामयाबी के झंडे लेकर चाहें नागरिक प्रशासन हो, राज्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पर्वतारोहण, सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा चुकी है किन्तु यह भी सच है कि महिला और अपराध चाहें सार्वजनिक हो उच्च पदों पर आसीन महिला हो, घरेलू महिला हो, बेटी, बहन, माँ, सास या कोई भी उम्र की महिला हो अपराध से अछूती नहीं है।

महिलाओं पर हिंसा रोकने हेतु राष्ट्रीय प्रयत्न

महिलाओं के प्रति घटी हुई हिंसा से इन चौकाने वाले आंकड़ों के कारण ही भारत वर्ष ने भी सन् 1993 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसके द्वारा महिलाओं के प्रति प्रत्येक मतभेद का समाप्त करना निश्चित किया था।

इस दिशा में भारतवर्ष में मानव अधिकार संरक्षण अधिकार 1993 पारित हुआ जो कि सन् 1994 से प्रभावशाली हुआ व वर्ष 2005 में हिंसा से महिलाओं को संरक्षण देने हेतु "संरक्षण अधिनियम 2005" पारित हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक राष्ट्रसंघ द्वारा चार अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किए गए जिससे कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। 1975 में यह सम्मेलन मैक्सिको में 1990 में डेनमार्क में नौरोबी 1995 बीजिंग (चाइना) में आयोजित किया गया। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने की घोषणा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया एवं सदस्य राज्यों से यह आग्रह किया गया कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए अधिनियम पारित करें। इन्हीं घटनाओं के कारण भारत सरकार के उपरोक्त मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित हुआ।

महिलाओं के प्रति हिंसा एक ऐसी विकराल समस्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गंभीरता से लिया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गये सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार लगभग विश्व के प्रत्येक भाग में विद्यमान है और महिलाएँ लगभग प्रत्येक समाज में उनकी इच्छानुसार शिक्षा ग्रहण करने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के लिए अधिकृत नहीं है।

1991 की मानव अधिकारों पर विएना में आयोजित विश्व सम्मेलन में महिलाओं तथा बालिकाओं के मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए उन्हें अहस्तांतरित अविभन्नीय तथा समग्र स्वीकार किया गया था। महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने की घोषणा की थी।

इन्हीं समस्त घोषणाओं एवं सम्मेलनों के तारतम्य में भारत सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा व अधिकार प्रदान करने हेतु अनेकों वैधानिक उपाय एवं कानून का निर्माण किया है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

भारतीय संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित म.प्र. मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तता प्राप्त संगठन है। जिसका उद्देश्य उक्त अधिकार में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना है साथ ही साथ मानव अधिकार आयोग मानव संरक्षण एवं मानव अधिकारों को जनसाधारण को जनसाधारण तक पहुँचाने का कार्य भी हो सकता है।

इन समस्त वैधानिक उपचार एवं आयोगों के गठन उपरांत भी महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में आशानुरूप कमी नहीं आयी है। इसका मुख्य कारण भारत में मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति अभी अविकसित नहीं हो पायी है इसके लिए उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ है। यही कारण है कि देश के विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है। व्यक्ति की गरिमा की संवैधानिक गारंटी तथा लोगों को न्याय दिलाने के अनेक कानूनी प्रावधानों के बावजूद समाज का प्रभावशाली वर्ग तथा सत्ता द्वारा निर्भय होकर खुल्लम-खुल्ला आम लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसी स्थिति में समाज का शक्तिशाली वर्ग कागज या भाषण में मानव अधिकारों के प्रति चाहे जितनी प्रतिबद्धता जाहिर करें पर वास्तव में बहुत कम दिखाई देती है।

संविधान में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के बावजूद सरकारें उनके क्रियान्वयन के प्रति लापरवाह

ISSN 2395-051X

होती हैं। अंत में यदि महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है एवं उनके प्रति हिंसा, घरेलू हिंसा को रोकना है तो यह आवश्यक है कि ''मानव अधिकार आयोग'' को लोगों को जागरूक करना होगा, महिलाओं को उनके अधिकारों का बोध करता होगा और वर्तमान में मानव अधिकार आयोग इसी दिशा में कार्य करते हुए न केवल मानव अधिकारों के हनन के प्रति गंभीर है बल्कि समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रचार-प्रसार संगोष्ठी आदि द्वारा समाज को जागरूक कर रहा है।

संदर्भ

1. राजकिशोर, मानव अधिकारों का संघर्ष, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. मानव अधिकार न्यूज लेटर, दिल्ली, मार्च 1998-99।
3. मानव अधिकार आयोग म.प्र. भोपाल पत्रिका, भोपाल म.प्र. 2007।
4. बालश्रम - डॉ. श्रीनाथ शर्मा, अमन प्रकाशन, सागर
5. सामाजिक सहयोग (राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका 2007)